फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 206 अगस्त 2005

कहत कबीर

बच्चों और बूढों के लिये आदर को मण्डी लील रही है। नासमझ और बेकार करार दे कर बच्चों व वृद्धों की इच्छाओं को कुचलना मण्डी की भाषा बोलना है।

लाठी–गोली तन्त्र संचालकों की सहानुभूति

होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर मजदूरः " प्लॉट 1, सैक्टर-3, मानेसर, गुड़गाँव स्थित फैक्ट्री में सबसे बड़ी समस्या काम-काम-काम और काम है। फैक्ट्री शुरू हुये चार साल हुये हैं और उत्पादन में, काम के बोझ में लगातार वृद्धि की जा रही है। साहब लोग उत्पादन बढाने के लिये पीछे पड़े रहते हैं और किसी अधिकारी को थोड़ा भी टोक दो तो – 'कल से ड्युटी नहीं आना, करना है तो ऐसे ही, वरना जाओ'। इस प्रकार एक लाइन पर दो शिफ्ट में 2000 स्कूटर प्रतिदिन बनवाने लगे हैं और एक शिफ्ट में एक लाइन पर मोटरसाइकिलों का उत्पादन 750 पर पहुँचा चुके हैं – मोटरसाइकिल उत्पादन शुरू हुये डेढ साल ही हुआ है। एक स्कूटर 25-26 सैकेन्ड में तैयार करना पड़ता है। एक शिफ्ट में 1000 स्कूटर का उत्पादन निर्धारित है पर अगर पहली शिफ्ट में इतने नहीं बने तो बी-शिफ्ट में अधिक उत्पादन कर प्रतिदिन के 2000 पूरे करने पड़ते हैं। दूसरी शिफ्ट में दो हजार पूरे करने के लिये आधा घण्टा रोकते हैं तो उसका ओवर टाइम नहीं देते। फिर भी पूरा उत्पादन नहीं तो जबरन ओवर टाइम पर रोकते हैं। बी-शिफ्ट रात 11½ बजे समाप्त होती है पर आमतौर पर 1-1½ बजे तक तो रुकना ही रुकना होता है, प्रतिदिन के दो हजार स्कूटर के चक्कर में जब-तब सुबह 5½ बजे तक रुकना पड़ता है। पुर्जे सी एन सी मशीनों पर बनते हैं जहाँ एक मजदूर को दो मशीन चलानी पड़ती हैं। किसी पुर्जे की 15 सैकेन्ड, किसी की 30, किसी की 50 सैकेन्ड, किसी भारी पुर्जे की 2 मिनट 10 सैकेन्ड टाइमिंग है – पूरे समय एक से दूसरी मशीन तक चलते रहना पड़ता है। लाइन पर दो लेकिन पुर्जे उत्पादन में तीन शिफ्ट हैं। साढे आठ घण्टे में ही इतना थक जाते हैं कि ओवर टाइम करना सम्भव नहीं होता फिर भी करना पड़ता है अन्यथा गेट बाहर। महीने में 90-100 घण्टे तक ओवर टाइम करना पड़ता है। कम्पनी ओवर टाइम का भुगतान डबल की दर से करती है पर फिर भी हम मजदूरों में ओवर टाइम का भारी विरोध है। जिस रफ्तार से काम करना पड़ रहा है उसे देखते हुये 35-40 वर्ष की आयु से अधिक तक काम कर ही नहीं सकते।

"जबकि ऊपर से देखने पर होण्डा फैक्ट्री में सब अच्छा है। ठेकेदार के जरिये रखते वरकर को भी पहले ही दिन दो वर्दी, एक जोड़ी जूते, टोपी। निवास से फैक्ट्री ले जाने और वापस छोड़ने के लिये 25 बसें – मजदूर कम हों तो इंडिका अथवा क्वालिस कार। दो कैन्टीन और कैन्टीन में 6 रुपये में भोजन – रोटी, चावल, दो सब्जी, दही, सलाद, कुछ मीठा। चाय-नाश्ते के लिये हर मजदूर को कम्पनी 200 रुपये के कूपन प्रतिमाह देती है। सफाई। फैक्ट्री में हर समय डॉक्टर। एम्बुलैन्स। मेडिक्लेम। स्थाई मजदूरों, ट्रेनी व अप्रेन्टिसों को पैसे पहली तारीख को और ठेकेदार के जरिये रखों को 7 तारीख को। दूर-दूर से ट्रेनी मजदूर व अप्रेन्टिस लाये जाते हैं और महीने-भर उनके रहने का प्रबन्ध कम्पनी करती है। ठेकेदार के जरिये रखे जाते वरकर भी आई.टी.आई. किये – 6-7-8 महीनों में निकालना पर कुछ को ट्रेनी के तौर पर रख लेना। ट्रेनी को प्रशिक्षण अवधि (एक व दो वर्ष) पूरी होने पर पक्का कर देना। स्थाई नौकरियों का अकाल और पक्के होने का यह लालच हमें बहुत कुछ झेलने को मजबूर कर रहा था पर लात मारने के वाकये के बाद हम ने आपस में तालमेल बढाये।

" पिछले वर्ष अक्टूबर में वैल्डशॉप में बी-शिफ्ट में रात 11¼ पर एक साहब ने एक मजदूर के लात मारी। अगले रोज ए-शिफ्ट में लात मारने के विरोध में मजदूरों ने सुबह 9 बजे काम बन्द कर दिया। लात मारने वाले साहब ने मजदूरों के सामने माफी माँगी तब 2 बजे काम शुरू हुआ। बी-शिफ्ट के मजदूरों ने भी काम बन्द किया। साहब ने फिर माफी माँगी तब रात 7½ बजे काम शुरू किया। फैक्ट्री में एक दिन काम बन्द होने पर 8 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि होती है।

" फैक्ट्री में खटपट बढने लगी। इस वर्ष 6 फरवरी को बी-शिफ्ट में कम्पनी ने बन्धन-पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा और जबरदस्ती करने लगी। इस पर सब मजदूर कार्यस्थल छोड़ कर कैन्टीन में एकत्र हो गये। भोजन का बहिष्कार किया। शिफ्ट समाप्ति पर फैक्ट्री से बाहर नहीं गये। सी-शिफ्ट के मजदूर भी कैन्टीन में आ कर बैठ गये। अगले रोज सुबह ए-शिफ्ट के मजदूर भी कार्यस्थलों पर जाने की बजाय कैन्टीन में आ कर बैठ गये। कैन्टीनों में तीनों शिफ्टों के मजदूर – 1200 स्थाई, 1600 ट्रेनी, ठेकेदार के जरिये रखे 1000 और 400 अप्रेन्टिस जमा हो गये। सब मजदूरों ने भोजन व चाय का बहिष्कार किया। कम्पनी ने फैक्ट्री में पुलिस बुला ली। डी.सी. भी फैक्ट्री पहुँचा। मजदूरों में कोई नेता नहीं थे – कम्पनी ने हर डिपार्ट से बातचीत के लिये 5-5 माँगे। साँय 5-6 बजे समझौता हुआ – किसी को निकालेंगे नहीं, जो बन्धन-पत्र भरवा लिये थे वे वापस किये (मजदूरों ने फाड़ कर जला दिये), उत्पादन पूरा कर दिया जायेगा। डेढ दिन काम बन्द रहने के बाद 8 फरवरी को सुबह से उत्पादन पुनः आरम्भ। कम्पनी ने स्थाई मजदूरों व ट्रेनी के 1½ दिन के पैसे नहीं काटे पर ठेकेदार के जरिये रखों के काटे।

"अप्रैल में कम्पनी ने वार्षिक वेतन वृद्धि दी – स्थाई मजदूरों की तनखा में 2800-3500 रुपये की बढोतरी की। ट्रेनी के 600 रुपये बढाये जबकि अप्रैल 04 में 750 रुपये बढाये थे। स्थाई मजदूरों की तनखा 8500-10,000 रुपये हो गई और ट्रेनी की 5600 रुपये। ठेकेदार के.सी. इन्टरप्राइजेज के जरिये रखे 1000 वरकरों की तनखा में कोई वृद्धि नहीं की – 2800 रुपये ही रही। ठेकेदार के जरिये रखे जाते वरकर उत्पादन कार्य करते हैं, सी एन सी मशीनें चलाते हैं।

" अप्रेन्टिस को 900 रुपये भत्ता सरकार से मिलता है और 700 रुपये होण्डा कम्पनी देती है। अन्य कम्पनियों की ही तरह यहाँ भी अप्रेन्टिस को सिखाने की बजाय पहले दिन से ही सीधे उत्पादन में जोत देते हैं। अप्रेन्टिसों से तीनों शिफ्टों में काम करवाते हैं। अधिकतर अप्रेन्टिस भी दूर-दूर से लाये गये हैं – 1600 में गुजारा नहीं होता, ओवर टाइम में दुगना भी 1600 के हिसाब से ही। एक अप्रेन्टिस से मशीन में नुक्स होने पर स्कूटर लाइन एक दिन बन्द रही – उस अप्रेन्टिस को कम्पनी ने निकाल दिया।

" कुछ दिन सामान्य। फिर फोर्क लिफ्टर में नुक्स पर कम्पनी ने एक स्थाई मजदूर को निलम्बित किया। निलम्बन को दस दिन हो गये तब फैक्ट्री में भोजन का बहिष्कार शुरू – काम के भारी बोझ के कारण चाय मजबूरी में लेते थे। बहिष्कार में स्थाई के संग (बाकी पेज चार पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

सामान्य है यह सब

प्रिसिजन स्टैम्पिंग मजदूर : "प्लॉट 106 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 70-75 पक्के मजदूर और दो ठेकेदारों के जरिये रखे 250 वरकर हैं। फैक्ट्री में दो शिफ्ट हैं — सुबह 8 से रात 8½ तक और साँय 4½ से अगले रोज सुबह 8 बजे तक। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों को 8 घण्टे रोज पर तीस दिन के 1600-1800 रुपये — साप्ताहिक छुट्टी नहीं, त्यौहारी छुट्टी नहीं। हैल्परों की तनखा में से ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं पर पी.एफ. के नहीं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। तनखा 10 तारीख के बाद।"

फरीदाबाद बोल्ट टाइट वरकर : "प्लॉट 43 सैक्टर-4 स्थित फैक्ट्री में गाड़ियों के रबड़ के पुर्जे बनते हैं और 12-12 घण्टे की शिफ्ट हैं — रविवार को भी काम, एक रविवार को 8 घण्टे और दूसरे रविवार को 16 घण्टे। बीमार बहुत होते हैं — ई.एस. आई. नहीं है, अपने पैसों से हमें प्रायवेट में इलाज करवाना पड़ता है। हैल्परों की तनखा 1800-2000 और ऑपरेटरों की 2130-2200 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सब वरकरों को 8 रुपये प्रतिघण्टा।"

आई बी जी (ग्रुप फोर फ्लेक) मजदूर: "प्लॉट 48 डी एल एफ स्थित फैक्ट्री में भर्ती के लिये दो दिन ट्रायल के नाम पर काम करवाते हैं — दो दिन कुछ नही कहेंगे और तीसरे दिन कुछ को रख लेंगे, बाकी को कहेंगे कि जाओ। इन दो दिन काम के पैसे किसी को नहीं देते। कम्पनी ई.एस.आई. की कच्ची पर्ची देती है पर ई.एस.आई. डिस्पैन्सरी यह कह कर दवाई नहीं देती कि पर्ची पर ई.एस.आई. लोकल ऑफिस की मोहर नहीं है। आवश्यक बताई जाती मोहर कम्पनी लगवाती नहीं — तनखा से पैसे कटने के सिवाय ई.एस.आई. होने का हमारे लिये कोई अर्थ नहीं है। काम करते 450-500 मजदूरों में 250-300 महिलायें हैं और ज्यादा गड़बड़ यह है कि फैक्ट्री में मैनेजिंग डायरेक्टर खुलेआम महिला मजदूरों को छेड़ता है।"

नगर निगम वरकर : "फरीदाबाद नगर निगम के पास 350 ट्युबवैल हैं जिनमें से 180 को ठेके पर दे रखा है। कहने को ठेके पर दिये ट्युबवैलों पर कोई ऑपरेटर नहीं हैं — सब कम्प्युटरयुक्त हैं और नगर निगम कार्यालय स्थित कम्प्युटर द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन वास्तव में ठेके पर दिये हर ट्युबवैल पर एक ऑपरेटर है जिसकी 24 घण्टे प्रतिदिन, महीने के तीसों दिन ड्युटी है। कोई छुट्टी नहीं — ट्युबवैल पर ही रहना, वहीं खाना, वहीं सोना। ठेकेदार ने कह रखा है कि कोई अधिकारी पूछे तो ड्युटी 12 घण्टे की बताना। नगर निगम ट्युबवैल के ऑपरेटरों को रोज 24 घण्टे ड्युटी पर 30 दिन के ठेकेदार कम्पनी 2500 रुपये देती है।"

कार्स्टमास्टर मजदूर : "प्लॉट 64 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की शिफ्ट हैं — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 1800-2000 रुपये और वेतन देरी से — जून की तनखा 15 जुलाई को दी। वेतन में से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते — गर्म काम है, जल-फुंक जाने पर हमें अपने पैसों से इलाज कराना पड़ता है।"

जी एन टूल्स एण्ड कम्पोन्ट्स वरकर : "ए 28 डबुआ एक्सटैन्शन स्थित फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. 20-25 के ही हैं। मजदूर लगातार काम करते रहते हैं पर बीच-बीच में कागजों में एक महीने दिखाते नहीं — उस महीने तनखा में से ई.एस.आई./पी.एफ. के पैसे नहीं काटते। हैल्परों की तनखा 1200-1300 रुपये।"

सुपर आटो (इण्डिया) वरकर : "प्लॉट 84 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने 10-12 ठेकेदारों के जरिये वरकर रखे हैं। हैल्परों की तनखा 1400-1800 रुपये — ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। कम्पनी ने स्वयं जो 14 सेक्युरिटी गार्ड रखे हैं उनमें से 11 को 12 घण्टे रोज ड्युटी पर 30 दिन के 2850 रुपये देती है — ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं।"

जे वी इलेक्ट्रोनिक्स मजदूर : "प्लॉट 163-64 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में मशीनें चलाने वालों को भी कम्पनी हैल्पर कहती है। बीस साल से काम कर रहे भी हैल्पर — फैक्ट्री में ऑपरेटर नाम से कोई है ही नहीं। सरकारी विभागों में अनेकों शिकायतें की गई हैं पर स्थिति जस की तस है। सफाई कर्मचारियों की तनखा 1900 रुपये ही।"

ग्लोब कैपेसिटर मजदूर : "22 बी व 30/8 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 10 घण्टे की ड्युटी और उसके बाद 2 घण्टे ओवर टाइम सिंगल रेट पर जारी हैं। प्लॉट 22 बी में मजदूरों के लिये बनाई लैट्रीन में पाइप टूटी पड़ी है — मजबूरी में गन्दगी में जाना पड़ता है।"

कर्मा वरकर : "14/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। हैल्पर को 12 घण्टे रोज काम पर 30 दिन के 2200 रुपये देते हैं। ऑपरेटर को 12 घण्टे के 100 रुपये। फैक्ट्री में काम करते 150 मजदूरों में से 100 को पाँच ठेकेदारों के जरिये रखा है। जून की तनखा हमें आज 19 जुलाई तक नहीं दी है।"

टालब्रोस मजदूर: "प्लॉट 74-75 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे हैल्पर की तनखा 1725 रुपये — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। सप्ताह के सातों दिन काम — 12 घण्टे काम पर 3½ घण्टे ओवर टाइम के और उसके पैसे भी सिंगल रेट से। फैक्ट्री में रात को कैन्टीन बन्द कर देते हैं। शिफ्ट समाप्ति पर पंक्ति व तलाशी-फैक्ट्री से निकलने देने में आधा घण्टा लगा देते हैं।"

मरदान इंजिनियरिंग वरकर : "प्लॉट 39 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये — ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में 12 घण्टे की एक शिफ्ट — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

सुपर फैशन मजदूर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में एक शिफ्ट है जो सुबह 9½ बजे शुरू होती है और रात 8½ पर समाप्त होती है पर कार्ड पंच 6¼ का करते हैं — ओवर टाइम को दस्तावेजों में कम्पनी दिखाती ही नहीं। रविवार को भी फैक्ट्री में उत्पादन होता है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं।"

खन्ना इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 101 सैकटर-6 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8½ से रात 10 बजे की शिफ्ट है। साप्ताहिक छुट्टी नहीं, त्यौहारी छुट्टी नहीं। महीने के तीसों दिन 13½ घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से काम करना पड़ता है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। आठ घण्टे रोज पर 30 दिन के हैल्पर को 1950 रुपये — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

ओरियन्ट स्टील वरकर : "20/1 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में जून की तनखा 18 जुलाई को दी पर सेक्युरिटी गार्डों को 20 जुलाई तक नहीं दी है। गार्डों की ड्युटी 12-12 घण्टे की, तीसों दिन — ई. एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। गार्ड को 12 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2250 रुपये देते थे जिन्हें अप्रैल से 2600 किया है।"

एस.पी.एल. मजदूर : "प्लॉट 3 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे हम वरकरों को जून की तनखा 18 जुलाई को जा कर दी। हमें 12 घण्टे रोज काम पर 30 दिन के 2400 रुपये देते हैं — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ग्रेहाउस विभाग में सुपरवाइजर गाली देते हैं — रात को 12 बजे धक्के मार कर फैक्ट्री से निकाल भी देते हैं। प्लॉट 22 सैक्टर-6 में ठेकेदार ने तनखा बताई 1800 रुपये थी पर दिये 1550 ही।"

निधि मजदूर : "प्लॉट 85 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1800 और ऑपरेटर की 2000-2200 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

नहीं दी तनखा

इन्जेक्टो लिमिटेड, 20/5 मथुरा रोड़, में अप्रैल, मई और जून की तनखायें 23 जुलाई तक नहीं; **सी एम आई**, 71 सै-6, में अप्रैल, मई और जून की तनखायें 20 जुलाई तक नहीं; **ब्रॉन लैबोरेट्री**, 13 इन्ड. एरिया, में ठेकेदार के जरिये रखों को जून की तनखा 18 जुलाई को दी; **शिवालिक ग्लोबल**, 12/6 मथुरा रोड़, में जून की तनखा 19 जुलाई तक नहीं; **श्याम टैक्स इन्टरनेशनल**, 4 सै-6, में ठेकेदारों के जरिये रखों को जनू की तनखा 23 जुलाई तक नहीं; **क्लच आटो**, 12/4 मथुरा रोड़, में जून की तनखा 19 जुलाई तक नहीं;......

दिल्ली से-

एस. के. इम्ब्राइडरी मजदूर : "एफ-1/3 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में 12 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2100 रुपये देते थे जिन्हें घटा कर 1800 कर दिया है।"

रामाजी एक्सपोर्ट वरकर : "डी-21 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। हैल्पर को 12 घण्टे रोज पर महीने के 1500 रुपये और कारीगर को 3000 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। जून की तनखा 17 जुलाई को जा कर दी।"

शिव शक्ति इम्ब्राइडरी वरकर : "एफ-9/31 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। रोज 12 घण्टे पर महीने के हैल्पर को 2000 रुपये। कम्प्युटर इम्ब्राइडरी करते 40 मजदूरों में 20 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ.।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी
फरीदाबाद—121001

दिल्ली से-

माइकल आराम एक्सपोर्ट मजदूर : "कम्पनी समूह की फैक्ट्रियों की हिस्सा-बाँट के लिये मैनेजमेन्ट के दो धड़ों में चल रहे झगड़े में भी शिकार हम मजदूर हो रहे हैं। बी-156, डी डी ए शेड ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में हमें खाली बैठा रखा है जबकि माल का निर्यात पहले की ही तरह जारी है — नई फैक्ट्री में नये मजदूरों के संग ठेकेदार के जरिये वरकर रख कर तथा अन्य उत्पादकों से काम करवाया जा रहा है। मार्च और अप्रैल की तनखायें हमें सामान्य तौर पर दे दी गई। मई की तनखा के दौरान खटपट हुई। जून की तनखा नहीं दिये जाने पर हम ने 13 जुलाई को श्रम विभाग में शिकायत की। आश्वासन के बावजूद 14 को भी तनखा नहीं दी तो 15 जुलाई को हम सब मजदूर श्रम विभाग गये। हम श्रम विभाग से लौट रहे थे तब एक कार रामदेव व विनोद की साइकिल में टक्कर मार कर निकल गई। ई.एस.आई. अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल ले जाये गये रामदेव की 20 जुलाई को मस्तिष्क में लगी गम्भीर चोट की वजह से मृत्यु हो गई। कम्पनी ने जून की तनखा के चेक 16 जुलाई को दिये।"

त्रिमूर्ति एक्सपोर्ट वरकर : "बी-241 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से साँय 6 की शिफ्ट है पर महीने में 2-3 दिन ही 6 बजे छोड़ते हैं। सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम होता है और महीने में दस दिन तो रात 1 बजे तक काम करना पड़ता है। लेकिन कम्पनी कार्ड पंच रोज सुबह 9 और साँय 6 बजे करवाती है — ओवर टाइम दिखाती ही नहीं। हम ने अलग से कार्ड बना रखे हैं जिन पर 6 बजे के बाद रात 9 या 1 बजे का समय भरते हैं और सुपरवाइजर के यहाँ देते हैं। कार्डों को गार्ड रोज अकाउन्टवाले के पास ले जाता और वापस लाता है। ओवर टाइम के पैसे हमें सिंगल रेट से देते हैं — कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा कर यह पैसे तनखा के समय ही अलग से देते हैं। फैक्ट्री में 150 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. 30 के ही हैं। रविवार को भी काम — साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते।"

सेक्युरिटी गार्ड : "के-1/129 चितरंजन पार्क कार्यालय वाली **हॉक-आई सेक्युरिटी** में लगभग 3500 गार्ड हैं। रोज 12 घण्टे ड्युटी पर गार्ड को 30 दिन के 2600 रुपये — साप्ताहिक छुट्टी नहीं, सरकारी छुट्टी नहीं, पर्व-त्यौहार की छुट्टी नहीं। दूसरा गार्ड नहीं आने पर 12 घण्टे ओवर टाइम करना जरूरी — मना करने पर 200 रुपये तनखा से काट लेंगे। रात को झपकी आई हो अथवा नहीं आई हो, जाँच रिपोर्ट में महीने में कम से कम एक बार 'सो रहा था' लिखेंगे और वेतन में से 200 रुपये काट लेते हैं। भर्ती के समय 1000 रुपये वर्दी के लेने के संग प्रमाणपत्रों की मूल प्रति भी जमा कर लेते हैं ताकि नौकरी छोड़ कर अन्य कोई नौकरी नहीं कर सकें। गार्ड पर शक इतना करते हैं कि दसों उँगलियों के निशान ले कर रखते हैं।"

के डी एस फैशनकार्ड मजदूर : "एफ-3/5 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की दिहाड़ी 70-80 रुपये — साप्ताहिक छुट्टी नहीं, रविवार के पैसे काट लेते हैं। महीने में 50-70 घण्टे ओवर टाइम — भुगतान सिंगल रेट से। फैक्ट्री में काम करते 30 मजदूरों में से 17 के ही ई.एस.आई. व पी.एफ.।"

मोडलामा एक्सपोर्ट वरकर : "कम्पनी की ओखला फेज-I में बी-33, बी-57, बी-80 तथा गुड़गाँव में उद्योग विहार व मानेसर स्थित फैक्ट्रियों में इस समय 6 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, सीजन में दस हजार हो जाते हैं। बी-33 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों को 1800 रुपये तनखा — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। आजकल रात 8 बजे बाद नहीं रोकते जबकि अक्टूबर-मार्च के दौरान रात 11-11½ से पहले नहीं छोड़ते। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

लवली पैकर्स मजदूर : "6305 कसावपुरा, सदर बाजार स्थित प्रेस में हैल्परों को 1500-1700 रुपये महीना वेतन देते हैं। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। हर महीने कच्चे रजिस्टर पर तनखा देते हैं — पक्के रजिस्टर के 12 कोरे पन्नों पर वर्ष में एक बार हस्ताक्षर करवाते हैं।"

एस्कोर्ट्स

एस्कोर्ट्स मजदूर : "योजना बना कर स्थाई मजदूरों पर फिर एक बड़े हमले का प्रबन्ध कर चुकी मैनेजमेन्ट को फिलहाल गुड़गाँव की घटना ने अधर में रोक दिया है। नेताओं की पोलपट्टी खोलने के अभियान के संग-संग इस-उस बहाने मजदूरों व नेताओं को नौकरी से निकालना, ट्रान्सफर..... कम्पनी ने आक्रमण बोल दिया था कि मुख्य मन्त्री के कुर्सी-डर ने प्रशासन से एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट को थामने को कहा। अब भी यहाँ कार्यरत 5000 स्थाई कर्मियों की हँगामा करने की क्षमता ने यह अस्थाई नकेल डाली है।

"री-स्ट्रकचरिंग और री-इंजिनियरिंग कर उनके अनुरूप त्रिवर्षीय एग्रीमेन्ट एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने 1999 में की थी। काम के बोझे में भारी वृद्धि, मल्टीस्किलिंग आदि वाले समझौते में बड़े पैमाने पर स्थाई मजदूरों को निकालना निहित था। उत्पादन में छलाँग की बात थी — समझौते में 260 ट्रैक्टर प्रतिदिन का उत्पादन निर्धारित किया गया था। लेकिन पहले तो हम मजदूरों के विरोध ने और फिर मण्डी ने कम्पनी की योजना पर लगाम लगाई। मण्डी में ट्रैक्टरों की माँग में कमी ने एस्कोर्ट्स में निर्धारित से काफी कम उत्पादन होने दिया। अगर निर्धारित 260 ट्रैक्टर रोज बनते तो हम में से कई का तो अब तक काम से दम निकल गया होता। लेकिन फिर भी इस दौरान रिटायर की जगह नई भर्ती नहीं और वी आर एस के जरिये मैनेजमेन्ट ने स्थाई मजदूरों की सँख्या 30 प्रतिशत कम कर दी।

"इधर मण्डी में ट्रैक्टरों की माँग बढने और एस्कोर्ट्स में 770 करोड़ रुपये के नये निवेश ने स्थाई मजदूरों की सँख्या में एक और बड़ी कटौती करने को कम्पनी के एजेण्डा में फिर ऊपर ला दिया है। इम्पलाई कॉस्ट कम करने के सिलसिले में पिछली एग्रीमेन्ट के नाम पर 6 वर्ष बाद मैनेजमेन्ट ने अब जुलाई में थर्ड प्लान्ट में आधे मजदूर फालतू घोषित किये। आधे मजदूर बैठा कर आधे से काम करवाने की कोशिश का विरोध होना ही था। चार दिन की कसरत के बाद मैनेजमेन्ट ने आधे की जगह एक चौथाई के फालतू होने का समझौता कर लिया। थर्ड प्लान्ट में कम्पनी 25 प्रतिशत मजदूरों को खाली बैठाने लगी है।

"1999 के समझौते में ट्रैक्टरों के निर्धारित उत्पादन से अधिक की आवश्यकता निकट भविष्य में नजर नहीं आती। इसलिये कम्पनी ने तब से दीर्घकालीन समझौते की जरूरत महसूस नहीं की है। इधर प्लान्टों के अन्दर किये जा रहे प्रदर्शनों - नारेबाजी पर आधा घण्टा - एक घण्टा के पैसे काटने के अलावा मैनेजमेन्ट और कोई एक्शन नहीं ले रही — यह फिलहाल की विशेष परिस्थितियों के कारण है। परन्तु इस-उस आड़ में स्थाई नौकरियाँ और कम करने वाली एग्रीमेन्ट का खतरा है।"

लाठी–गोली तन्त्र संचालकों .... (पेज चार का शेष)

निशाना साधने की बजाय थाणेदार बनने के सपने-प्रयास गर्त की राह हैं. .... आज हमारा संचित श्रम इस कदर बढ गया है कि व्यक्ति का होना अथवा नहीं होना बराबर-सा हो गया है। ऐसे में हम व्यापक स्तर पर सामाजिक मनोरोग के शिकार हैं। लाठी-गोली तन्त्र के संचालक तक तन्त्र के करमों के कारण अपराधबोध में तो डूबते जा ही रहे हैं, तन्त्र संचालक तन्त्र के सामने, खासकरके व्यवस्था के सम्मुख पूर्णतः असहाय भी हैं। ऐसे अपराधबोध और असहायता से बड़े लोगों में मजदूरों के प्रति उपजती सहानुभूति स्वयं में दुखद है। वैसे, सिर-माथों पर बैठों की "सहानुभूति" आमतौर पर छवि के फेर में होती है, मसीहाई अन्दाज अख्तियार कर वोटों की फसल बटोरने के लिये होती है।

●हमारे ही खिलाफ हमारी अपनी मेहनत की उपज अब कोई छोटा-मोटा गोवर्धन नहीं रही बल्कि हिमालयी आकार की हो गई है। इससे पार पाने के लिये हमें प्रत्येक में उँगली पर कंकड़ उठाने की क्षमता होने के महत्व को पहचानना-स्वीकार करना आवश्यक लगता है। विश्व के हम 5-6 अरब लोग उँगली पर कंकड़ उठाने की सहज क्रियाओं के जरिये हिमालय से पार पा जायेंगे....

●संचित श्रम और सजीव श्रम में मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के लिये, नई समाज रचना के लिये 100 को 5 में बदलने वाली बिचौलियों की राहों को त्याग कर आइये 100 को 1000-10,000 बनाने वाली राहों पर बढ़ें।

लाठी-गोली तन्त्र संचालकों की सहानुभूति ..... (पेज एक का शेष)

ट्रेनी, अप्रेन्टिस और ठेकेदार के जरिये रखे गये वरकर शामिल रहे। अतिरिक्त दबाव के बावजूद ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों में से किसी ने भी फैक्ट्री में भोजन नहीं किया। भोजन बहिष्कार को एक महीना हो गया तब कम्पनी ने निलम्बित मजदूर को वापस काम पर लिया।

" यूनियन के जरिये राहत की बातें सामने आई। देवीलाल पार्क, गुड़गाँव में 15-20 दिन के अन्तराल पर होण्डा मजदूर एकत्र होने लगे। हम में से चमचे सब सूचनायें कम्पनी को देते। पंजीकरण और बड़ी यूनियन से जुड़ने के लिये गतिविधियाँ। कम्पनी द्वारा छोटी-छोटी बातों पर निलम्बन का सिलसिला। ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को निकालना शुरू किया और 26 जून तक 1000 में से 500 निकाल दिये थे। निलम्बनों के सिलसिले के खिलाफ 2 जून को बी-शिफ्ट के मजदूर कार्यस्थल छोड़ कर प्रशासनिक भवन पहुँचे और नारे लगाये — आधे घण्टे उत्पादन बन्द रहा जिसे बाद में पूरा कर दिया। इस पर अगले दिन कम्पनी ने 4 स्थाई मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया और 25 को निलम्बित कर दिया। विरोध में भोजन का बहिष्कार और ओवर टाइम बन्द। स्कूटरों का उत्पादन 1000 प्रति शिफ्ट की जगह 400-500 रह गया।

" कम्पनी ने 22 जून को नोटिस लगाया कि जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है उन ट्रेनी की रविवार, 24 जून को परीक्षा होगी और आवश्यकता होगी तो उन्हें स्थाई किया जायेगा। जबकि, प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर अब तक कम्पनी स्थाई करती आई थी तथा कोई परीक्षा नहीं होती थी। रविवार को परीक्षा नहीं दी। इधर निलम्बित मजदूरों की सँख्या 50 हो गई। तब 27 जून को सुबह हम ड्युटी पहुँचे तो गेट पर कम्पनी ने शर्तों पर हस्ताक्षर करने को कहा। दस्तखत करने से इनकार पर कम्पनी ने फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया। स्टाफ के 300 से ज्यादा लोग, 40-50 स्थाई मजदूर और ठेकेदार के जरिये 27 जून को ही भर्ती नये लोग फैक्ट्री में गये। उत्पादन जारी — दो हजार लोग फैक्ट्री में। गेट पर पुलिस। चार हजार मजदूर गेट बाहर।

"यूनियन नेताओं के जरिये प्रशासन को ज्ञापन। जुलूस। सांसद भी आये 11 जुलाई की सभा में। पर कुछ बदलता नजर नहीं आया। ऐसे में 25 जुलाई को पुलिस से भिड़न्त हुई और फिर हम ने पुलिस की लाठियाँ खाई। टी वी, अखबारों और नेताओं के चौतरफा बयानों से लगा कि हमारी समस्यायें हल होंगी। लेकिन केन्द्र सरकार की अध्यक्ष के निर्देश पर हरियाणा के मुख्य मंत्री की देखरेख में हुये समझौते ने हमें पाताल में पहुँचा दिया। समझौते अनुसार पहली अगस्त को फैक्ट्री में पहुँचे हम सब मजदूर गुस्से में भरे पडे हैं। समझौते से होण्डा के सब मजदूर नाराज हैं। स्थाई मजदूर कह रहे थे कि जब शर्तों पर दस्तखत करने ही थे तो यह सब करने की क्या जरूरत थी। प्रशिक्षण पूरा कर चुके 35 ट्रेनी बाहर के बाहर। माफीनामे.... और ठेकेदार के जरिये रखे 1000 में से 26 जून को जो 500 बचे थे वे सब नौकरी से निकाल दिये — कम्पनी ने ठेकेदार के जरिये जो नये भर्ती किये थे वे फैक्ट्री में रहेंगे। कम्पनी 27 जून से 31 जुलाई तक का कोई वेतन नहीं देगी। नेताओं और मजदूरों के बीच समझौते ने विभाजन कर दिया है।"

●फैक्ट्री के अन्दर जब स्थाई मजदूर काबू में नहीं आते तब कम्पनियाँ बिचौलियों को पैदा करने, बिचौलियों की साख बनाने/पुनः जमाने के लिये विभिन्न जाल बुनती हैं। भुगते बैठे मजदूरों से बाहर की हड़ताल करवाना मैनेजमेन्टों और बिचौलियों के लिये अधिकाधिक मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिये गेट बाहर कर मजदूरों को नरम करने के लिये तालाबन्दियाँ बढ रही हैं। बाहर बैठाने के लिये शर्तों पर हस्ताक्षर को कम्पनी द्वारा फैक्ट्री में प्रवेश के लिये अनिवार्य करना और बिचौलियों द्वारा दस्तखत करने को हाथ कटाना करार देना एक दूसरे जाल के ताने-बाने हैं। फैक्ट्री से बाहर किये स्थाई मजदूर समय गुजरने के साथ कमजोर पड़ते जाते हैं और ऐसे में कम्पनी उन पर पुनः नियन्त्रण कायम करती है। फरीदाबाद में वी एक्स एल इंजिनियरिंग, जी के एन इनवेल ट्रान्समिशन, क्लास, न्यू एलनबरी वर्क्स के मजदूर "शर्तों पर हस्ताक्षर" के हथियार से चोट खा चुके हैं। ओखला (दिल्ली) में माइकल आराम एक्सपोर्ट के मजदूरों ने इसकी कड़वाहट चखी है। अब गुड़गाँव में होण्डा के मजदूरों ने " शर्तों पर हस्ताक्षर" को भुगता है।

●मजदूरों पर पुनः नियन्त्रण स्थापित करने के लिये घटनाओं की रचना करती कम्पनियाँ कभी-कभार घटना उद्योग की थोड़ी चपेट में आ जाती हैं जैसे कि गुड़गाँव में हुआ है। घटना उद्योग और वर्तमान व्यवस्था के अन्य पक्षधर सामान्य की चर्चा से परहेज करते हैं और घटना को, असामान्य को गड़बड़ पेश कर उसके होने पर एतराज जताते हैं, रोकने की बातें करते हैं। जबकि वर्तमान व्यवस्था में सामान्य जीवन ही है जो बरदाश्त से बाहर है....

● मुम्बई-सूरत-हैदराबाद-चेन्नै-कोलकाता-कानपुर-लुधियाना-गुड़गाँव-दिल्ली-नोएडा-फरीदाबाद-... में सामान्य है: वास्तविक वेतन का लगातार गिरते जाना; परिवार के भरण-पोषण के लिये कार्यदिवस का सतत बढते जाना; फैक्ट्रियों में 12 घण्टे की शिफ्ट; 80-85 प्रतिशत मजदूरों को वैधानिक न्यूनतम वेतन भी नहीं देना; कानून अनुसार ओवर टाइम का भुगतान 95-98 प्रतिशत मजदूरों को नहीं; उत्पादन कार्य का 80-85 प्रतिशत कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों द्वारा किया जाना; मजदूरों की बड़ी सँख्या को दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं; तीव्र से तीव्रतर व अत्याधिक काम से तन-मन को अधिकाधिक तानना; संग ही संग खाली-खाली-खाली की बढती सँख्या का बढता सूनापन; विशाल आबादी को मण्डी में धकेलती दस्तकारी-किसानी की सामाजिक मौत द्वारा मजदूरी के भाव में भारी गिरावट; इलेक्ट्रोनिक्स का कहर....

●इस सामान्य का एक परिणाम है सट्टे बाजार का, शेयर मार्केट का यहाँ नित नई उँचाइयों को छूते जाना।

●लेकिन यह सामान्य हालात ही हैं जो नियन्त्रण-कन्ट्रोल के लिये अनिवार्य बिचौलियों को किनारे लगा रहे हैं। "मजूदर आन्दोलन खत्म !" का फिकरा वास्तव में इस व्यवस्था के सुरक्षा कवचों का चिथड़े-चिथड़े होना है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था के कर्णधारों में बिचौलियों को मजदूरों के बीच पुनः स्थापित करने की हूक उठना स्वाभाविक है। लेकिन बिचौलियों में सतत श्रम के लिये स्थाई मजदूरों की बड़ी सँख्या के संग-संग स्थाई होने की अच्छी सम्भावना का होना जरूरी है पर हकीकत.... वैसे, भलेमाणस भी हैं जो सौ-सवा सौ वर्ष पूर्व की दुनियाँ में अब भी विचरण कर रहे हैं और बिचौलियों के स्थान "ईमानदारों" से भरने के सपने देखते हैं — अमरीका में सियेटल शहर में मजदूरों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के बाद भी ऐसे सपने अल्पकाल के लिये हवा में थे।

●दरअसल हमारी मेहनत हमारे ही खिलाफ के हालात हैं। समुदाय टूटने के साथ ऐसी स्थिति आरम्भ हुई। किलों के निर्माण ने दमन बढाने का काम तो किया ही, अपनी मेहनत की उपज के सम्मुख मनुष्य गौण होने लगे। ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्थाओं में सिर-माथों पर बैठते लोग आमतौर पर बहुत बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे में दमन-शोषण मे भूमिका से उपजते अपराधबोध और व्यवस्था के सम्मुख असहायता ने अनेकानेक गौतम बुद्धों को भिक्षु भी बनाया है। ईश्वर के अनेकों दूतों, ईश्वर-पुत्रों और स्वयं ईश्वर अवतारों के बलिदानों-प्रयासों के बावजूद स्थिति बद से बदतर होती आई है.....

●यह समुदाय रूपी समाज व्यवस्थाओं का टूटना और ऊँच-नीच वाली व्यवस्थाओं का आगमन है जो मनुष्यों की मेहनत की उपज को मानवता के खिलाफ, प्रकृति के ही खिलाफ कर देता है। संचित श्रम (मृत श्रम) और सजीव श्रम के बीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बने हैं। इन शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों को निशाना बनाने की बजाय संचित श्रम के संचालक बनने के प्रयासों का दबदबा रहा हैं जो कि हालात के बद से बदतर होने की जड़ में है। थाणेदारी पर (बाकी पेज तीन पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।